

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CELL]

फ.सं.2-13/2024-स्था.(भर्ती)
F. No. 2-13/2024-Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29
दिनांक/Date:

03 APR 2025

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में उप परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नति ।

Subject: - Promotion to the post of Deputy Nursing Superintendent at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 19.03.2025 को उप परिचर्या अधीक्षक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित सहायक परिचर्या अधीक्षक, को वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 के अंतर्गत उप परिचर्या अधीक्षक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है। उनकी संबंधित पोस्टिंग का स्थान नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Deputy Nursing Superintendent held on 19.03.2025 and its acceptance by the Competent Authority, the following Assistant Nursing Superintendent are promoted to the post of Deputy Nursing Superintendent in Level 10 of the Pay Matrix from the date they assume the charge of the post of Deputy Nursing Superintendent at their respective place of posting reflected in the table below.

Sl. No.	Name	Department/Centre	Place of posting
1.	Ms. Anjana Alex Tete	Hospital	Hospital
2.	Ms. Dama Laxmi Mitra (Francis)	Hospital	Hospital
3.	Ms. Thresia Antony (Nee K.V.)	CTC	CTC
4.	Ms. Nargis Alfred	NSC	NSC
5.	Ms. Sailaja G Lal (Kumari S)	CTC	CTC
6.	Ms. Jaishree Oza (Nee Soni)	NSC	Mother & Child Block
7.	Ms. Usha Guru	NSC	Mother & Child Block

2. सुश्री जयश्री ओजा (नी सोनी) ए.एन.एस एवम सुश्री उषा गुरु, ए.एन.एस, को एम एंड सी ब्लॉक के लिए निर्धारित पद के अंतर्गत उप नर्सिंग अधीक्षक के पद पदोन्नत किया गया है, वे इस कार्यालय आदेश की जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर एम.एंड सी ब्लॉक में उप नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया है। यदि, वे एम.एंड सी ब्लॉक के पद पर पदभार ग्रहण करने से मना करती हैं /असफल होती हैं तो उप परिचर्या अधीक्षक के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी. ओ. पी. टी. के निदेशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अवधि या अगली रिक्तियां आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।

Ms. Jaishree Oza (Nee Soni), ANS & Ms. Usha Guru, ANS promoted to the post of Deputy Nursing Superintendent against the post meant for M & C Block and accordingly they are required to join the post of Deputy Nursing Superintendent at M & C Block within 15 days from the date of issue of this office order failing which it will be presumed that they have refused their promotion. Accordingly, on such refusal for promotion the offer a promotion would be treated as withdrawn/cancelled and as per the DoPT guidelines they will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises.

3. उनकी बरिष्ठता उप परिचर्या अधीक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात 19.03.2025 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Deputy Nursing Superintendent will be effective from the date of Departmental Promotional Committee i.e.19.03.2025.

4. वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.डी.डी.टी.सी. गाजियाबाद/ एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में उनके स्तर के कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगी।

Contd. on page no.2

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/ NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana) and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge of the post.

5. उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22 (I) यदि लागू हो के अंतर्गत वास्तविक पदोन्नति की तारीख अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तारीख से तय करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें असंशोधित आश्रित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्रित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वेतन पे मैट्रिक्स लेवल -10 (पूर्व संशोधित पी. बी. -3-15600-39100+5400 ग्रेड पे) प्रदान नहीं किया जाएगा।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) if applicable either from the date of their actual promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted Level-10 in the pay Matrix (pre-revised PB- 3-15600-39100+5400 Grade pay) under ACP/MACP Scheme.

6. यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. (सी) नंबर 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस संबंध में डी. ओ. पी. टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This office order would be subject to outcome of the SLP (C) 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

7. उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान के कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.


3/4/25

[के सी भट्ट /K.C.BHATT]

प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

कमल भट्ट /KAMAL BHATT

प्रशासनिक अधिकारी /Administrative Officer

भर्ती प्रकोष्ठ /Recruitment Cell

अ. भा. आ. सं., अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
A.I.I.M.S., Ansari Nagar, New Delhi-29

Persons concerned

Through: Sr. A.O./A.O./A.A.O. -Hospital, CNC & M & C Block

Copy to:-

- 1) Chief-CTC & NSC
- 2) Medical Superintendent- Hospital
- 3) Chief Nursing Officer (officiating)- Hospital
- 4) Sr. A.O./A.O/ A.A.O. - Hospital, CNC & M & C Block
- 5) Account Section- II & III & CNC
- 6) General Section, Estate Section, Legal Cell, GPF Section, Vigilance Cell, ACR's Cell, & SC/ST Cell
- 7) Professor-in -charge Computer Facility - Kindly upload this office order at the institute's website.
- 8) Guard file